UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
रूद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड शासन

Website-http://pwd.uk.gov.in
Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 117 /16सी० दिनांक 01 /05/ 2024

सेवा में,

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

विषय– जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना बौठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.2275 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online proposal No. FP/UK/ROAD/149024/2021)।

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/18/2023/एफसी/1810 दिनांक 16.03.2023।

महोदय,

उक्त वनभूमि पत्रावली में लगायी गयी आपत्तियों का संशोधित बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार किया गया है–

क्र0सं0	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	The beneficiary village is already situated along an existing road. therefore, the State Government is requested to provide the path distance of the village (which marks the endpoint of the proposed road) from the nearest existing road and justify this proposal in accordance with the relevant norms.	बर्सू ग्राम existing road पर नहीं पड़ता है, बल्कि existing road से गांव की ऊर्ध्वाधर दूरी लगभग 105 मीटर है। इस हेतु गांव को वर्तमान मानकों के अनुसार ही मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया है। शासनादेश संख्या 8167/III(2)/18–15(सामान्य)/2018 दिनांक 31.12.2018 (प्रति सलग्न–02) के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से संयोजित माना जाय, चूंकि विषयगत गांव निर्धारित 100 मीटर की दूरी से बाहर है अतः ग्राम बर्सू मोटर मार्ग से संयोजित नहीं है।
2	If the proposed road is intended to connect to a location deep within the village, then as recommended by the DFO the proposal be revised to a 3-meter-wide jeep road.	मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 देहरादून के पत्र संख्या 1715/01 व0भू0– सामान्य–10 दिनांक 02.12.2010 में प्रदत्त निर्देशानुसार 7मी० चौडाई में वृक्षों की गिनती की गई है। (प्रति संलग्न–01) वर्तमान में जीप रोड बनाने हेतु कोई शासनादेश प्रचलित नहीं है सामान्यतय 5.95 मीटर चौडाई में ही पहाड कटान कर मार्ग का निर्माण किया जाता है।
3	The details of the saplings that are proposed tol be affected in the project, as outlined in paragraph 4 of the Part II and the Tree enumeration list, have not been provided. Therefore, the State Govt is requested to provide these details.	उक्त प्रकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 67 है, जिसमें (0–10 व्यास वर्ग) Saplings वाले वृक्षों की संख्या शून्य है।
4	The state Govt is requested to submit a plantation scheme for planting 455 plants in an area of 0.455 ha. This scheme should include all necessary details such as a KML file, digital map, and so on.	वन विभाग से अपेक्षित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(इं0 इन्द्रजीत बोस)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि–
1. अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

संख्या : 2167/III(2)/10-18(सामान्य)/2010

प्रेषक,

एस०एस० टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादूनः दिनांक : 31 दिसम्बर, 2018

लोक निर्माण विभाग-2

विषयः **लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु नीति का प्रख्यापन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने तथा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभागीय वार्षिक आय-व्ययक में प्राविधानित बजट को विभिन्न योजनाओं/मदों में विभाजित किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निम्नवत नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती हैं :-

(i) राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के मानकानुसार नवीनीकरण हेतु वर्तमान स्थिति के सापेक्ष लगभग 25% धनराशि पृथक से प्रत्येक वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।

(ii) सड़क सुरक्षा हेतु वार्षिक बजट के आकार की 5% एवं पुलों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिये वार्षिक बजट के आकार की 15% धनराशि वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।

(iii) वार्षिक बजट की शेष धनराशि लगभग 55% नवनिर्माण एवं ग्रामीण मार्ग/हल्का वाहन मार्ग/वार्षिक अनुरक्षण के लिए प्राविधानित की जाय।

(iv) राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाय।

(v) जिन ग्रामों/आबादियों को किसी न किसी मार्ग से सड़क संयोजकता पूर्व से ही सुलभ हो, उन ग्रामों/आबादियों को अतिरिक्त/दोहरी मार्ग संयोजकता सामान्यतः प्रदान न की जाय।

(vi) राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये 05 किमी० से अधिक लम्बाई के मोटर मार्गों को स्वीकृति हेतु द्वितीय चरण में प्रस्तावित न किया जाय, वरन् अधिक लम्बाई वाले ऐसे मोटर मार्गों को एक एक करके (One by one) विभिन्न चरणों में स्वीकृति प्रदान की जाय।

(vii) ऐसे मार्गो को, जो कि राज्य मार्ग या अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में नही है तथा जिनमें प्रतिदिन यातायात 400 भारी वाहन से कम है, को बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा न किया जाय।

(viii) समस्त आबादी वाले भागों के मुख्य मार्गों में निर्माण हेतु edge to edge ब्लैक टॉप/इन्टरलॉकिंग सी०सी० टाईल्स अथवा Brick on Edge तथा पक्की नाली निर्माण का प्राविधान अवश्य रखा जाय।

क्रमशः.........पृष्ठ 2 पर

मो० प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

Scanned with CamScanner

(ix) मुख्यमंत्री आन्तरिक सम्पर्क योजना के तहत 500 मी0 से अधिक लम्बाई एवं 4.25 मी0 से अधिक चौडाई के मोटर मार्गो तथा 20 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओं के निर्माण हेतु मा0 विधायकों की प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को लिया जायेगा। 02 लेन से कम चौडाई वाले मार्गों को सी0सी0 के स्थान पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स से किया जाय, जो M-40 से कम नहीं होगी।

(x) MORTH के परिपत्र संख्या : NH-15017/28/2018-P&M दिनांक 23.03.2018 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 PCUs प्रतिदिन से अधिक परन्तु 8000 PCUs से कम यातायात होने पर Intermediate lane(5.50 m) का प्राविधान, 10000 से अधिक PCUs यातायात होने पर 02 लेन अर्थात 07मी0 कैरिज वे का निर्माण एवं 10000 से अधिक PCUs तथा 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक Traffic Growth पर 07 मी0 कैरिज वे Paved Shoulder के साथ मार्ग निर्माण का प्राविधान किया जाय।

(xi) नये मोटर मार्गों के लिए सामान्य अनुरक्षण कार्यों हेतु कार्य समाप्ति के defect liability period सहित 03 वर्ष तक के लिये अनुबन्ध में ही यह प्राविधान कर दिया जाए कि मोटर मार्गों का अनुरक्षण भी सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रथम वर्ष हेतु कुल लागत का 0.5 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.00 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.5 प्रतिशत की दरों पर किया जाय। इस अवधि में सामान्य अनुरक्षण मद से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।

(xii) पैदल/झूला सेतुओं के निर्माण में Carriage way की चौड़ाई 1.80 मी0 तक सीमित रखी जाय। ग्रामीण भागों में नदी पर 02 किमी0 से कम दूरी पर दूसरा सेतु निर्मित न किया जाय।

(xiii) सामान्यतः Single lane में निर्मित होने वाले Steel bridges के अन्तर्गत 57 मी0 स्पान तक Modular bridges का निर्माण किया जाय, जिन्हें कि भविष्य में आवश्यकता पडने पर Two lane अथवा किसी भी सीमा तक Multi lane में विस्तारित किया जा सके।

(xiv) प्रदेश में रू0 10.00 करोड़ से अधिक लागत तथा 60 मी0 से अधिक स्पान के सेतुओं को E.P.C. (Engineering Procurement Construction) Mode के माध्यम से करवाया जाय। विश्व बैंक परियोजनाओं के लिये यह प्राविधान उनकी सहमति पर ही लागू होंगे अन्यथा नहीं।

(xv) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत ऐसे निर्माण कार्यों, जिनकी वनभूमि की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, स्थानीय स्तर पर विवाद होने या अन्य कारणों से श्रमिक/सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव न हो, की पुनरीक्षित स्वीकृति को प्राथमिकता प्रदान की जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–378/XXVII/(2)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

क्रमशः......पृष्ठ 3 पर

Scanned by CamScanner

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

दिनांक– 02/12/10

पत्रांक– 1715 /01व0गू0–सागान्य–10

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, (ग0 / कु0 क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग,
पौड़ी / अल्मोड़ा।

विषयः– स्वीकृत मोटर मार्गों के वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव 07 मीटर चौडाई में प्रेषित करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरावत्त विषयक श्री खड़क सिंह बोहरा जी, मा0 विधायक, नैनीताल विधानसभा क्षेत्र, उत्तराखण्ड द्वारा नोडल अधिकारी वन पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशो का उल्लेख करते हुए वन भूमि हस्तानन्तरण के प्रस्ताव 07 मी0 चौंडाई में प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया है, साथ ही उल्लेख किया गया है कि प्रस्ताव इससे अधिक 12 मी0 एवं 09 मी0 चौडाई के प्रेषित किये जाने पर काफी अधिक वृक्षों के पातन के साथ–साथ प्रस्ताव प्रेषित करने में ही खीचंतान होने से प्रस्ताव स्वीकृत होने में काफी विलम्ब होता है ।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है, कि किसी भी मार्ग निर्माण मे वन भूमि प्रस्ताव हेतु मार्ग की चौड़ाई (Row) 9 मी0 ली जाय व मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों की गिनती 7 मी0 चौड़ाई में की जायेगी । उपरोक्तानुसार अधीनस्थों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता स्तर–1

प्रतिलिपिः– श्री खड़क सिंह बोहरा जी, मा0 विधायक, नैनीताल विधान सभा क्षेत्र, नैनीताल को उनके पत्र स0 3553 दिनांक 16.11.2010 के कम में सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, [illegible]..वॉं वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल को सूचनार्थ एव आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

मुख्य अभियन्ता स्तर–1

58
10/01

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
10 JAN 2011

भावा– (L.A.)

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग